न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 19/2007

श्री लादू सिंह पुत्र श्री अनोप सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री हरदीन पुत्र श्री मांगू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1. श्री रामचंद्र
2. श्री छोटू
3. श्री पप्पू
   पुत्रगण श्री हरदीन जाति जाट निवासीगण ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर
4. कमला पुत्री श्री हरदीन पत्नी श्री रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम पिचोलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर
5. परमा पुत्री श्री हरदीन पत्नी श्री रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम थोरगढ़ी तहसील ब्यावर जिला अजमेर

.....*अप्रार्थीगण*

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप सिंह राठौड़ वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 17.06.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.01.1983 को ग्राम भगवानपुरा में आयोजित राजस्व कैम्प में श्री हरदीन पुत्र श्री मांगू जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम भगवानपुरा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 43 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपा कर इस आधार पर भूमि का आवंटन करवाया है कि उसके पास ग्राम भगवानपुरा एवं अन्य किसी भी स्थान पर कृषि भूमि नहीं है तथा वह एक भूमिहीन काश्तकार है जबकि आवंटी के नाम ग्राम भगवानपुरा में खेवट खतौनी संख्या नया 223 पुराना 219 में कुल खसरा नम्बर 47 कुल रकबा 153 बीघा 4 बिस्वा आराजी में पुश्तैनी हक व हिस्सा नीहित था। छल कपट पूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया भूमि का आवंटन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी निरस्त करवाया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2005(1) पेज 634 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक द्रष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन पश्चात् आदिनांक तक कभी भी काश्त नहीं की है तथा तथ्यों को छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नामान्तकरण संख्या 423 दिनांक 04.12.2004 से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अंकन करवा लिया है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन नियम 14 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि आवंटी को भू आवंटन पश्चात् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.T (20) 2013 पेज 12 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। आंवटी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन बाबत् कमेटी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद प्रार्थना पत्र की सत्य प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि सार्वजानिक हित की भूमि है जो ग्रामवासियों के मवेशियों को चरने एवं रास्ते के उपयोग में आ रही है, इसी कारण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.2007 को प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा विवादित भूमि चारागाह हेतु आरक्षित करने बाबत् जिला कलक्टर को निवेदन किया गया था। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग में आने के कारण अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई तथा न ही उनके द्वारा भूमि पर काश्त की गई। उनके द्वारा इस तथ्य के समर्थन में खसरा गिरदावरी भी पेश नहीं की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावें।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात् किया गया था। वरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूरा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि सार्वजनिक हित की चारागाह एवं रास्ते की भूमि है जबकि इन्हीं के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई अपील में उक्त भूमि को स्वयं के रास्ते की भूमि होना बताया गया था। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी के नाम पूर्व में ही काफी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जबकि जमाबंदी में अंकित कुल भूमि में हिस्सानुसार अप्रार्थी के हिस्से में केवल 9.5 बीघा भूमि ही आती है, इसी कारण विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि नियम 14 (3) तथा (4) नियम के आधार पर कि आवंटी ने दो वर्ष में भूमि काश्त नहीं की इस कारण आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2008(1) पेज 611 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपा कर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का Locus Standai नहीं है। इनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि स्वयं के रास्ते के उपयोग में आने का कथन किया गया था। अब यह प्रार्थना पत्र ग्रामवासियान के हित में प्रस्तुत करने का कथन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वयं के कथनों में विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो आवश्यक है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन के 25 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जबकि खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता तथा न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। केवल मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.J (8) 2001 पेज 125, R.R.T. 2008 (2) पेज 834 व R.B.J. 1995 (2) पेज 780 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात् विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अप्रार्थी द्वारा छल कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया हो। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि सार्वजनिक हित की चरागाह एवं रास्ते की भूमि है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी के नाम पूर्व में ही काफी पुश्तैनी खातेदारी भूमि रेकार्ड में दर्ज है जबकि जमाबन्दी में अंकित कुल भूमि में हिस्सानुसार अप्रार्थी के

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हिस्से में केवल 9.5 बीघा भूमि ही आती है। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से सहमत है कि नियम 14(3) के आधार पर कि आवंटी ने दो वर्ष में भूमि काश्त नहीं की इस कारण आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से भी सहमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन के 25 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता तथा न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **17.06.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner